भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2996

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के मामले

2996. डॉ. शशि थरूर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की संख्या में हो रही खतरनाक वृद्धि से अवगत है, जैसा कि भारत की मानसिक स्थिति रिपोर्ट में प्रमाणित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में युवा वयस्कों द्वारा सामना किए जा रहे मानसिक स्वास्थ्य रोगों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए डेटाबेस रखती है;

(ग) हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास देश में युवा वयस्कों में मानसिक स्वास्थ्य रोगों में वृद्धि से निपटने के लिए कोई नीतिगत अनुक्रिय है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बेंगलुरु के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) कराया, जिसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में मानसिक विकारों की व्याप्तता लगभग 10.6% है।

एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है, जिसके उद्देश्यों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, स्कूलों और कॉलेजों में जीवन

कौशल प्रशिक्षण और परामर्श शामिल हैं। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बहिरंग सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की निरंतर देख-रेख और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग सुविधा का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है। एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के तहत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता में पीजी विभागों में छात्रों के प्रवेश को बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता वाले केंद्र संस्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता में 47 पीजी विभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता की है। 22 नए एम्स में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 47 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नामत: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची शामिल हैं।

उपरोक्त के अलावा, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और परिचर्या सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। दिनांक 23.07.2024 तक की स्थितिनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 11,76,000 से अधिक कॉलें दर्ज की गई हैं।

******